

::संशोधित आदेश::

कार्यालय आदेश संख्या 3202/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 22.12.2020 जिसके अन्तर्गत दिनांक 25.12.2020 को किसमस तथा दिनांक 31.12.2020 व 01.01.2021 को नव-वर्ष के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित होटलो एवं बार रेस्टोरेन्टों तथा सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक पार्टी आयोजन को जन सुरक्षाहित में प्रतिबन्धित किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन होटलों में पर्यटकों/अतिथियों द्वारा नव-वर्ष 2021 के दृष्टिगत पूर्व से कक्ष आरक्षित कराये गये हैं, केवल ऐसे पर्यटक नववर्ष कार्यक्रम COVID-19 की SOP के अनुसार सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए सादे समारोह (डी.जे. लगाकर सामूहिक नृत्य करना सख्त मना है) में ही मना सकेगें। संक्रमण रोकथाम हेतु समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित होटल स्वामी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जायगी।

अतः पूर्व आदेश संख्या 3202/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 22.12.2020 को उक्त सीमा तक संशोधित व समावेशित समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।


५० जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 3218 / सीपीओ-डीएम-2020
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 24, दिसम्बर, 2020

- 1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 2- अपर मुख्य सचिव महोदय, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
- 3- सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 4- सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 5- आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश।।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
- 9- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासन, देहरादून।
- 10-समस्त उप जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट, जनपद-देहरादून।
- 11-मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
- 12-सहायक श्रमायुक्त, देहरादून/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून।
- 13-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर/हरबटपुर/मसूरी/डोईवाला।



५० जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून। देहरादून